Dr. Vandana Suman
Associate professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
B.A Part — II (Hons)
Paper — III
नीतिशास्त्र (Ethics)

दंड के सिद्धान्त – (Theories of Punishment)

आदिम युग से ही दंड एवं पुरस्कार (Punishment and Reward) के सिद्धान्तों का उल्लेख पाया जाता है। अच्छे या शुभ कर्मों के लिए व्यक्ति को पुरस्कार तथा बुरे या अशुभ कर्मों के लिए दंड की व्यवस्था प्राचीनकाल से चली आ रही है। हम अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं पुरस्कार पाने के लिए तथा बुरे कर्मों से दूर रहते हैं दंड या सजा से बचने के लिए। दंड के विभिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं — प्रतिकार वाद, निवर्तनवाद तथा सुधारवाद। अपराधी को सजा मिलना एक नैतिक आवश्यकता है। दंड देने का एक लक्ष्य यह भी रहता है कि इससे डरकर अन्य व्यक्ति अपराध न करें और समाज में अपराध पर रोक लग सके। आधुनिक युग में दंड का लक्ष्य व्यक्ति या अपराधी को सुधारना माना गया है। इसी प्रसंग में मृत्यु-दंड के औचित्य एवं अनौचित्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को उसके शुभकर्मों के लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए दंड दिया जाए। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और दंड से बचने के लिए व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता है। बेंथम और मिल ने दंड और पुरस्कार को नैतिक प्रेरणा कहा है। दंड को 'नैतिकता की बाह्य निषेधात्मक स्वीकृति' (external negative sanction of morality) भी कहा जाता है।

दंड और पुरस्कार के निबंध

में ~~निम्नलिखित~~ अनेक मत मुख्य हैं।

1. प्रतिकारवाद (Retributive theory) इस सिद्धांत के अनुसार दंड एक न्यायोचित व्यापार है, दंड का लक्ष्य नैतिक नियम की उच्चता तथा प्रभुता की रक्षा और दोषी को दंडित करना है। जब कोई अपराधी नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है, तब न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा एवं प्रभुता कायम रहनी चाहिए। नैतिक नियम सर्वोच्च प्रभुसत्ता है। इसलिए इसे भंग करनेवाला निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। यदि अपराधी को सजा नहीं दी जाती, तो इससे नैतिक नियमों की प्रभुसत्ता और गरिमा पर आँच आती है।

कुछ लोग प्रतिकारवाद को प्रतिकार अथवा प्रतिहिंसा की अधार्मिक भावना पर आधृत मानते हैं। किंतु, ऐसा मानना अनुचित है। प्रतिहिंसा या प्रतिकार (बदला) को इसलिए निंदनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत द्वेष की भावना विद्यमान रहती है। किंतु जब किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को सजा दी जाती है तब इसमें व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं पाया जाता। मैकेंजी के शब्दों में, "न्यायालय केवल मनुष्य को उसी का प्रतिदान करता है, जो वह अर्जित कर चुका है, और वह अशुभ कर चुका है और इसके पाप का युक्तियुक्त है कि

पारिश्रमिक अर्थात् अशुभ उसे वापस मिलना चाहिए।" अरस्तु भी दंड को ऋणात्मक पुरस्कार कहते हैं जो जान-बूझकर नैतिक नियम की अवहेलना करे उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। मैकेंजी ने ठीक ही कहा है "यह उसका अधिकार है उसे मिलना चाहिए। समाज जो उसे दंड देता है, उसके अधिकार से वंचित नहीं करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए, जो वह कमा चुका है वही उसे देता है।" कांट और हीगेल भी इस विचार से सहमत हैं कि अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए क्योंकि यह उसका ऋणात्मक पुरस्कार है। कभी-कभी अपराधी राज्य द्वारा दंडित नहीं होते। इस स्थिति में वे पश्चाताप द्वारा आत्मशुद्धि करते हैं। उन्हें ऐसा अनुभूत होता है कि अशुभ कर्म द्वारा उन्होंने जितना अर्जित किया है उतना उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है। ब्रैडले भी इस मत के समर्थक हैं। उनके शब्दों में "हम दंड इसलिए भोगते हैं कि हम उसके योग्य हैं, किसी दूसरे कारण से नहीं। यदि किसी अशुभ कर्म के फल होने के अतिरिक्त अन्य कारण से दंड दिया जाता है, तो वह एक विशुद्ध अनीति है, एक स्पष्ट अन्याय है, दंड दंड के हेतु दिया जाता है।" इस प्रकार अपराधी को दंड देना न्याययुक्त व्यापार है।

प्रतिकारवाद के दो रूप हैं – (क) कठोरवाद (rigorism) और (ख) मृदुलमत (mollified view)।

(क) कठोरवाद (rigorism) –

इस मत के अनुसार जिस मात्रा में अपराध किया जाए, उसी मात्रा में अपराधी को दंड देना चाहिए। 'खून की सजा खून', 'आँख के लिए आँख' और 'जैसे को तैसा' (Tit for tat) इस सिद्धान्त के प्रतीक हैं। यहाँ परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि किसी ने किसी की हत्या कर दी है, तो उसे मृत्युदंड देना न्यायसंगत है।

(ख) मृदुल मत (Mollified view)

इस मत के अनुसार अपराधी को सजा सुनाने के पहले उसकी उम्र, उत्तेजना, परिस्थिति आदि पर विचार कर लेना आवश्यक है। यदि कोई अपराधी किसी बाह्य परिस्थिति से बाध्य होकर कोई अपराध कर बैठता है, तो उसकी सजा उसी मात्रा में हल्की होनी चाहिए। जैसे- यदि कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा रहने पर किसी दुकान से मिठाई उठा लेता है, तो उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए। इसप्रकार, यहाँ दंड का स्वरूप मृदुल हो जाता है।

प्रतिकारवाद की आलोचना

इस सिद्धान्त का कठोरवाद (rigorism) दोषपूर्ण है। कठोरवाद के अनुसार अपराधी को सजा देते समय बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं किया जाता। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति परिस्थिति के वशीभूत कोई अपराध कर बैठता है। ऐसी

स्थिति में उसमें स्वतंत्र संकल्प का सर्वथा अभाव रहता है। संकल्प-स्वातंत्र्य (freedom of will) के अभाव में किसी व्यक्ति को उसके अशुभकर्मों के लिए दंडित करना उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रकार प्रतिकारवाद परिस्थितियों का विचार किए बिना ही अपराधी को दंड देने की बात करकर ठीक नहीं करता। अपराधी को किसी साध्य का साधन मानना ठीक नहीं है। (Dewey) डिवी के शब्दों में, "हम केवल इस बात से अपने दंड-विधान के परिणामों की जिम्मेवारी से नहीं बच सकते कि अभियुक्त अपराधी है। विलियम लिलि का कहना है — 'नीतिज्ञों के लिए यह बहुत जटिल प्रश्न है, जब उससे यह पूछा जाता है, कि अपराधी को क्या दंड देना उचित है, और यदि हाँ तो किन अंशों में दंड न्यायसंगत है।"